(c) whether it is also a fact that Government have transferred paper purchasing authority to Director of Printing from Stationery Department; and

(d) if so, whether the above mentioned transfer of paper purchasing authority is in accordance with General Financial Rules, 1963?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) and (b) The procurement and distribution of stationery items by the Government of India Stationery Office, Calcutta and its three Regional Stationery Depots at New Delhi, Bombay and Madras, have been resumed.

(c) and (d) The ad hoc purchase of printing paper, in respect of which there is no rate-contract, has been delegated to the Directorate of Printing, consequent upon decentralisation of the activities of the Directorate General of Supplies & Disposals. Wherever rate contracts of the Directorate General of Supplies and Disposals exist, purchase continues to be made through them. As such there is no violation of the General Financial Rules, 1963.

Cases of Cheating by the Builders

1282. DR. RANBIR SINGH: WiU the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether some builders tempt the people by their false lucrative advertisements to book flats with them and thereafter cheat the buyers of their money by dishonouring the terms agreements;

(b) if so, how many such cases have come to light during the last three years in Delhi and the details of the modus operandi adopted by such builders, to cheat the public; and

(c) what action has been taken by Government against such unscrupulous builders and what steps have been taken to safeguard the interests of the public?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (SHRI P.K. THUNGON): (a) to (c) The information is being colected and will be laid on the Table of the Sabha.

सामाजिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1283. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, बाल-आश्रमों, महिला-आश्रमों और विकास-गृहों को केन्द्रीय कोष से वर्ष-वार और जिला-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई,

(ख) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ इन संस्थाओं को पूर्ण रूप से मिल रहा है यदि नहीं तो उसके क्या कारण है,

(ग) क्या सरकार द्वारा इन विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं का समय-समय पर अध्ययन किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या-क्या खूबियां/त्रुटियां सामने आई है,

(घ) केन्द्रीय कोष से प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के आंवटन/वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते है, और

(ड़) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितना प्रावधान किया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा अनेक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से दी जाती है । इस प्रकार के अनुदान का ब्यौरा का स्थान पर नहीं रखा जाता । तथापि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में इस प्रकार के प्रमुख अनुदानों का ब्यौरा होता है । ये वार्षिक रिपोर्ट संसद के माननीय का ब्यौरा होता है । ये वार्षिक रिपोर्ट संसद के माननीय सदस्यों को भेजी जाती हैं और संसद के पुस्तकालय में भी रखी जाती है । फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मुक्त अनुदान कर ब्यौरा विवरण में दिया गया है । (नीचे देखिये)

(ख) स्कीमों का पूरा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार विभिन्न उपाय करती है । स्कीमों के कार्यान्वयन का प्रबोधन आवधिक